राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि./टैक्स/एच.क्यू/95/11 जे   जयपुर, दिनांकः 30.09.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6 (179)/परि/टैक्स/एच.क्यू./95/11 जी, दिनांक 22.7.2000 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में ,–

1. खण्ड 2 के नीचे आये विद्यमान परन्तुक (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–
   ''(1) ड्राइवर को छोड़कर दो, ड्राइवर को छोड़कर तीन और ड्राइवर को छोड़कर चार की सीट क्षमता वाले तिपहिया यानों के मामले में, मोटर यान कर को सम्मिलित करते हुए विशेष सड़क कर की कुल रकम क्रमशः 300/–रु०, 600/–रु०, और 800/–रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।'' ।

2. खण्ड 2 के नीचे आये विद्यमान परन्तुक (3) के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

''(3)खण्ड 2 के उप–खण्ड (अ),(अप),(अपप) और (अपपप) के अधीन आने वाले मोटर यानों के लिए विशेष सड़क कर की अधिकतम रकम 25,000/–रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।

(4) खण्ड के उप–खण्ड (अ), (अप), (अपप) और (अपपप) के अधीन आने वाले और नगरपालिक सीमाओं या नगर सुधार न्यास सीमाओं या दोनों के भीतर अनन्य रुप से चलने वाले मोटर यानों पर विशेष सड़क कर, अधिकतम 12,500/–रु० प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक के सामने स्तम्भ सं. 3 में यथा–उपवर्णित दर के 50ः की दर से संदेय होगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव